

import is only 30,000 tonnes. The hon. Member should go to them and tell them that it is not necessary for them to sell the rubber at that price. I have already assured that we are not going to release the rubber in such a fashion that the prices go down too much and if there is escalation of the price too much, we will certainly release the rubber and we will try to keep the plants running. You are trying to protect the interests of the growers. I can understand that. But while trying to do that, you are trying to attack the Government and the imports. While doing that you are creating a psychology that there is a glut in the market. Don't create that psychology; only certain vested interests would benefit by that. You are all the time saying that there is import and there are a lot of imports (Interruptions) All of you are saying that we are importing rubber in a large quantity. Why do you say that? It is not necessary for you to say that. If you say that, the prices are likely to go down. This is how we respond to this kind of phenomenon.

SHRI E. BALANANDAN : I did not say anything. I have only said that the prices are crashing.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN : Out of 1000 tonnes of rubber produced every day, only 200 tonnes are lifted. What is the way out? Naturally they will sell it at distress prices. Only 200 tonnes are lifted. That is why the demand is coming from Kerala that the Rubber Board should go and purchase rubber and build up a buffer stock. 800 tonnes remain there unsold. You have to consider this and you should build a buffer stock.

SHRI GEORGE JOSEPH MUNDACKAL (Muriattupuzhe) : Now the production is the maximum. Some factories in the north are not lifting rubber due to strikes, labour trouble, power cut and lock-outs. And they are not also stocking rubber for 6 weeks as per the original understanding.

MR DEPUTY SPEAKER : Have you brought it to the notice of the Rubber Board!

SHRI GEORGE JOSEPH MUNDACKAL : The Rubber Marketing Federation is there. The STG is there and the Rubber Pool Fund is also there. But somebody has to go and purchase rubber. Otherwise you cannot lift the rubber from the market. I request the Minister to rush to the market and purchase the surplus rubber from the cultivators.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Very unwittingly we are falling in the trap.

We have not imported rubber in a very large quantity.. (Interruptions) I have been telling that you are putting forth only those points which can help in creating psychology of glut in the market. Now you say that there is some strike going on or that power is not available and rubber is imported. What is going to happen in the price front! Unwittingly you are supporting the glut. Please do not do that.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now the question is :

"That the Bill further to amend the Rubber Act, 1947, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR DEPUTY SPEAKER : Now, we shall take up clause-by-clause consideration.

The question is :

"That clause 2 to 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHIVRAJ V PATIL : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.06 hrs.

LIMESTONE AND DOLOMITE MINES LABOUR WELFARE (AMENDMENT) BILL.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : Sir, I beg to move that the Bill to amend the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, be taken into consideration.

[SHRI V. N. GADGIL in the Chair]

As the hon Members are already aware, the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, was enacted to provide or levy and collection of a cess

[Shri Dharmavir]

on limestone and dolomite for the financing of activities to promote the welfare of persons employed in the limestone and dolomite mines. The Act and the Rules of 1973 framed thereunder were brought into force with effect from 1st December, 1973. The rate of cess leviable under the Act has been fixed under the Rules at 20 paise per metric tonne of limestone and dolomite covered under the Act.

Since the inception of the Fund till the end of financial year 1980-81 over rupees four crores have been collected by way of cess out of which over Rs. 2.3 crores have been spent on various welfare measure contemplated under the Act for the limestone and dolomite mine workers. 49,752 limestone and 7,527 dolomite mine workers employed in these mines are thus covered under this Act.

Besides limestone, there are other calcareous deposits *viz.* limeshell, calcareous sand and sea-sand essentially composed of limeshell, marl, kankar or limekankar. These are similar in chemical composition to limestone and are also used in the cement factories. Such mineral deposits should generally have been treated as limestone and covered under the Act, but could not be covered under the Act, in the absence of the definition of the limestone in the Parent Act. The number of workers reported to be engaged in the minings of the calcareous sand, lime kankar, kankar and limeshell during 1980 was 4978 and the total production 19,48,000 tonnes during 1980. Consumption of these minerals in cement factories was reported to be 10,43,714 tonnes. The production of marl has not been reported.

The intention in defining limestone is, therefore, to levy and collect cess on the consumption of these minerals as well, which is expected to be around Rs. 2 lakhs per annum, and to provide the same welfare facilities to these about 5000 workers who have been denied the welfare amenities, due to them, only due to this technical lacuna. The cess will, however, be levied on the consumption/sale/disposal of these minerals after this amended Act is brought into force.

The Act has been administered on the basic premise that the duty is leviable, under section of the principal Act, not only when the owner of limestone or dolomite uses the limestone or dolomite for the manufacture of cement, iron or steel, but also when he uses it for other industrial purposes. Such an intention has been challenged by the concerned parties. Recently, in an appeal under the rules made under the Act, the view has been taken that an owner of limestone and

dolomite mine who uses the limestone or dolomite produced in his mine, for purposes other than the manufacture of cement, iron or steel, is not liable to the payment of cess under the Act. Consequently about Rs. 9 lakhs which have been levied on chemical factories, for the purpose, could not be collected. Also if such a view is accepted, the Government will have to not only refund the cess collected earlier but also incur recurring loss of about Rs. 5.75 lakhs per annum.

The intention in amending Section 3 and 4 of the Act is, therefore, to explicitly bring out our intention, to put all the disputes at rest and the intention of the validation clause is to enable the Government to validate the cess levied and collected and also to collect the cess levied but not collected due to the legal, disputes as aforesaid.

The other amendments proposed in the Bill are of minor nature. The Advisory Committee under the Act may at times feel the need to co-opt the members, to ensure that the various concerns are represented in these committees and may also like to have expert advice. To meet such eventualities, the Bill intends to empower committees to co-opt members.

The powers of inspection of the factories and mines can, at present, be exercised only by inspection by Welfare Administrators. The Welfare Commissioners who rank above the welfare administrators are also to be conferred with such powers.

Similarly, to keep track of disposal of the minerals, the statistical details require to be collected not only from the mine owners/occupiers of factories, but also from the purchasing agents and stockists. This will ensure strict vigilance over cess collection.

I do not think that there is anything else relating to this Bill which requires explanation or specific comment. The matter, as the House will see, is urgent. Therefore, I am keen that this Bill be put on the Statute Book as early as possible.

With these words, I beg to move that the limestone and Dolomite Mines Labour Welfare (Amendment) Bill, 1982 be taken into consideration and passed.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to amend the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, be taken into consideration."

SHRI AJIT BAG (Serampore) :
Mr. Chairman, Sir, with your Permission I will speak on the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 1982".

There is very little scope for discussion on this Bill. It only seeks to provide a proper definition of 'Limestone' and to specify the area of imposition of the levy of excise duty for the purpose of the Welfare Fund. These are only to plug the loopholes that were in the original legislation. There are a few minor amendments too. Sir, I take this opportunity to bring home to this august House the lack of will, on the part of the ruling party.

Sir, they propose to have the powers to co-opt members of the Central Advisory Committee. They have not explained why they propose to do so. We oppose this method. We want that such bodies should be formed democratically to safeguard interest of the workers.

What is the use of forming Committees if they do not function at all? Sir I say this, because only after a lapse of 8 years, the meeting of the Committee was held on January 2, last. The representatives of the CITU and other trade unions rightly took the Government to task for having made the Committee defunct for all practical purposes. Even the agenda of the meeting were not supplied. So, I assert that there is that lack of will on the part of the Government to do good to the workers. If they were really earnest, they would have seen to it that at least the Committee functioned regularly and properly.

Sir, they call it a Labour Welfare Fund. But, is it really so? What benefit do the workers really derive from it? In the Report of the Ministry of Labour, 1981-82, they have claimed to have spent from the Fund Rs. 41.59 Lakhs and Rs. 70.99 lakhs in 1980-81 and 1981-82 respectively, on medical care, housing, education, water supply and recreation.

But they have not mentioned the number of beneficiaries in each case. Had they done so, the hollowness of the claim would have been exposed. I hope the Hon'ble Minister will throw some light on this aspect.

Sir, the fact is that the misery of the workers of the limestone and dolomite mines beggars description. They suffer from fatal diseases. The minerals are severely corrosive. The workers invariably inhale or swallow the vicious dusts which make them easy victims of T.B., cancer and gastrocentric troubles. They suffer from

severe skin diseases too. Proper medical aid is not provided to them. They live in the most unhealthy conditions. They are deprived of even the minimum amenities that the other mine-workers such as those working in the Iron ore and Manganese ore mines enjoy. Can't the Government force the mine-owners who amass crores of rupees at the cost of toil, sweat and blood of these workers to provide them with such amenities? Why should not they be forced to supply the workers with protective implements like the "Protective Inhalers" developed by the Director General, Factory Advice Labour Institute, Bombay?

Why should not the mine-owners provide the workers with proper medical care, mid-day facilities of water supply, educational facilities and such other amenities? Consumption of fat and protein is more than a necessity for the mine-workers. But they are too ill-paid to afford to buy them. Why should not the Government force the mine-owners to supply them free of cost? Sir, if the Government fails to make the mine-owners provide the workers with the facilities, I have already mentioned, they should at least come forward to, provide them from the Welfare Fund. But the Fund, as it is at present must be considered too insufficient for that purpose. The excise duty levied at present very meagre. The rate is 20 paise only per metric tonne.

Sir, there has been an enormous rise in the prices of minerals since 1972 when the principal Act was enacted. Price index of minerals has risen from 114.4 in 1971 to 216.6 in October 1981-an, increase of 11 times, that is, 1100% increase. Hence there must be another amendment to the principal Act and the rate of levy of excise duty should be at least not exceeding Rs. 10 per metric tonnes. This, I think, will boost up the Fund and enable the authorities, if they have that will, to do some service to the workers. Otherwise, merely expressing good wishes without doing any real welfare to workers will be nothing but a mockery to them.

Sir, the representatives of the CITU in the meeting of the Central Advisory Committee held in January last made some valuable a suggestions for the welfare of the workers.

I fully support them and request the Government, through you, to implement them immediately. They are :

- (1) Increase in the grant in aid from Rs. 10,000/- to Rs 15,000 for community centres;

[Shri Ajit Bag]

- (2) Schemes for Type II quarters, mid-day meals, buses for school children as in iron and manganese ore mines;
- (3) Rs. 50/- p.m. as allowance for domiciliary TB patients ;
- (4) Expenses for supply of artificial limbs ; and
- (5) Grant of books, etc.

I hope the hon. Minister will kindly note my suggestions and implement them. He should enhance the rate of levy of excise duty and ensure proper functioning of the funds towards the real welfare of the workers.

With these words, I conclude.

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) :
सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस सदन में जो चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने इस प्रकार के बहुत सारे फंड्स स्थापित किये हैं लेकिन देखने की बात यह है कि उन फंड्स को ठीक प्रकार से खर्च किया जा रहा है या नहीं। अमरक के लिए भी आपने ऐसी निधि स्थापित की है। डोलोमाइट के लिए भी आपने यह निधि बनाई है तथा अन्य प्रकार की धातुओं के सम्बन्ध में भी आपने निधियां कायम की हैं लेकिन फिर भी अभी बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जिनके सम्बन्ध में आपने कोई कदम नहीं उठाया है। पिछले साल भी मैंने इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन किया था कि डोलोमाइट नहीं उठाया है। पिछले साल भी मैंने इस सम्बन्ध में आपसे किया था कि डोलोमाइट स्टोन और चूना-पत्थर के अलावा और भी इस प्रकार के दूसरे मिनरल्स हैं, जैसे कि सोप-स्टोन है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। पुराने श्रम मंत्री ने यह कहा था कि यह बिल ड्राफ्ट हो चुका है और संसद में पेश किया जा चुका है इसलिए इसमें इस प्रकार के संशोधन लाए नहीं जा सकते हैं परन्तु कोई दूसरा बिल लाकर आपको इन मिनरल्स को भी कवर करना चाहिए जिनमें कि काफी मजदूर काम करते हैं। मेरे जिले में ही कम से कम 8-10 हजार लोग सोप-स्टोन की खदानों में काम करते हैं। कहां पर इतना

गड़िया सोप-स्टोन निकलता है जोकि दुनिया के बहुत कम स्थानों पर निकलता होगा। उदयपुर में भी निकलता है। इस प्रकार से जगह-जगह पर कई हजार मजदूर इसमें काम करते हैं। यह ऐसा मिनरल है जोकि देश को फारने एक्सचेंज भी दिलाता है और हजारों मजदूरों की रोटी-रोजी भी चलाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी माइन्स को भी इस कानून की तहत लाया जाना चाहिए। अन्यथा उन मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय होगा। उनको भी इसका लाभ मिलना ही चाहिए। इसकी व्यवस्था आप जल्दी से जल्दी करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने जो डोलोमाइट और लाइम-स्टोन के लिए फण्ड स्थापित किया है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आज तक तो जो भी फण्ड आपने स्थापित किए हैं उनका ज्यादातर हिस्सा कर्मचारियों पर ही व्यय कर दिया जाता है। मजदूरों की वेलफेयर एक्टिविटीज पर उनके बच्चों की एजुकेशन पर, उनकी दवा-दारू पर, उनके रीक्रिएशन पर उनके लिए लाइब्रेरी बनाने पर, उनके लिए मकान बनाने पर, उनके लिए पीने का पानी माँहोया करने पर या जो भी दूसरी सहूलियतें हो सकती हैं उन पर इग फण्ड का कितना पैसा व्यय किया जाता है, इसकी तरफ भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं माइका माइन्स वेलफेयर कमेटी में सदस्य हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा पैसा वर्मचारियों और अधिकारियों पर खर्च हो जाता है, लेकिन वेलफेयर एक्टिविटीज पर बहुत कम पैसा लगता है। जैसे मजदूर के लड़के को पढ़ाने के लिए स्कालरशिप की बात है। आपने 10-20-30 रु. का क्वार्टरिया बना रखा है। मजदूर अपने लड़के को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, टेक्नीकल लाइन में भेजना चाहते हैं, मीडिकल में भेजना चाहते हैं या इंजीनियरिंग में भेजना चाहते हैं - उनके लिए इन सब जगहों के दरवाजे बन्द हैं। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जिसकी वजह से ये गरीब लोग इस प्रकार की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था खास तौर से होनी चाहिए।

इनके जो होस्टल्स आपने जगह-जगह पर खोल रखे हैं, वहां पर उनके बच्चों के

लिए खाने पीने की ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। इस और भी देखभाल करने की जरूरत है। यह आपका पुराना डर है, चाहे वह प्रान्तीय सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो कि हमने 10-15-20 रु. खर्च करना है। आप जब देखते हैं कि प्राइसेस में एसकलेशन हो रहा है, चार-चार साल में पैसे की कितनी कीमत बढ़ गई है। वहां जो पैसा दिया जाता है, उससे वहां उनको ठीक तरीके से खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कपड़ों की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है, किताबों की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है। जो फण्ड आप मुक़र्रर करते हैं, उसका उपयोग लगातार चलता रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसकी वजह से वहां के होस्टल के लड़कों की लाइफ बहुत खराब हो गई है। जिस पर आपकी तबज्जह जानी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती है, उसी प्रकार से आपको होस्टल के बच्चों के लिए ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर आपकी तबज्जह नहीं जाती है। जिसकी वजह से गरीब लोगों के बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ती है। वहां उनको घटिया सामान दिया जाता है। ऐसा सामान जो शायद आप भी खाना न पसन्द करें। जो आपकी वेलफेयर सर्विस में लोग हैं, उनको आपको विशेषकर हिदायतें देने चाहिए। यदि वहां पर किसी प्रकार की कठिनाई पैदा होती है, तो वह आपको रिपोर्ट करे, उसकी माकूल तरीके से व्यवस्था हो सके। जहां-जहां आपके बड़ी तादाद में मजदूर रहते हैं, चाहे वे बड़ी-बड़ी खदानों में काम करते हों, डोलोमाइट में काम करते हों, हमारे भीलवाड़ा राजस्थान में इसके बहुत बड़े डिपाजिट्स हैं, वहां उनके बच्चों के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। डिस्पेंसरी की व्यवस्था नहीं है, रिक्तिएशन की व्यवस्था नहीं है और न मीडिकल फौसिलिटीज हैं। मैं खास तौर से कोटा में, बून्दी में भीलवाड़ा के अन्दर और चित्तौड़ के अन्दर और मध्य प्रदेश में मन्दसौर जिला है, जहां पर कि बहुत बड़ी मात्रा में सीमेंट के पत्थर के डिपाजिट्स हैं, वहां उन लोगों के लिए कोई फौसिलिटी की व्यवस्था नहीं की गई है। आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा है

कि 4 करोड़ इकट्ठा किया है और ढाई करोड़ खर्च किया है। बाकी पैसा यूं ही पड़ा हुआ है। इन फौसिलिटीज को इन स्थानों पर गोवाइड किया जाना चाहिए। जहां 50,000 मजदूर भीलवाड़ा जिले में रहते हैं इसी प्रकार चित्तौड़ों, कोटा, बून्दी और मंदसौर इन सब जिलों में बहुत तदाद में मजदूर इस तरह के काम करते हैं। इनको सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। एजुकेशन, मंडीकल, वाटर, रिक्तिएशन हास्टल आदि सब सुविधाएं दी जानी चाहिए। तब यह व्यवस्था ठीक हो सकेगी। यह नितांत आवश्यक है।

मैं इस बिल का इसलिए भी स्वागत करता हूँ कि इससे बहुत बड़ी राहत मिलती है। लेकिन एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी जब माइकम अमेंडमेंट बिल आया था, तब भी कहा था कि वेलफेयर इंस्पेक्टर, वेलफेयर आफिसर्स जो हैं, उनकी कुछ अधिकार दिए जाएं, ताकि वे यह देख सकें कि मजदूरों को समय पर वेतन मिल रहा है या नहीं। वेतन पूरा दिया जाता है या नहीं। कोई ज्यादा डिडक्शंस तो नहीं किए जा रहे हैं। रीजिनल कमिश्नर जो आपने बिठाए हुए हैं, वे बड़े-बड़े पंजीपतिशों से मिल जाते हैं और मजदूरों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को वेलफेयर एक्टिविटीज के साथ-साथ देखने के लिए वेलफेयर आफिसर और वेलफेयर इंस्पेक्टर को कुछ अधिकार देने की आवश्यकता है। माइका के अन्दर मैंने देखा है कि जो मिनिमम वेज आपने 10-11 रुपये तय की है, उसके बजाए 6-7 रुपए मजदूरों को दिये जाते हैं और दस्तखत पूरे पैसे पर करा लिए जाते हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए इस तरह का प्रावधान करना आवश्यक है। मुझे आशा है कि उनकी तकलीफों को दूर करने में वेलफेयर आफिसर अच्छा काम कर सकते हैं।

सभापति महोदय, इस बिल में पैसा खर्च करने के लिए कुछ आइटम्स मुक़र्रर किए गए हैं, लेकिन बसूली बहुत सारी चीजों के लिए की गई है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि पैसा बसूल नहीं करना चाहिए, इससे तो हमको फायदा होगा, लेकिन पैसा

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

बसूल करने में गड़बड़-घोटाले बहुत होते हैं। इन सब चीजों को देखने की बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर कानून कायदों में कुछ गड़बड़ है तो उसको भी देखना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, , नहीं थे, मैं उनसे अब एक बात कहना चाहता हूँ कि साफ्ट स्टोन में यहाँ बहुत तादाद में निकलता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। एक ही तरह का मंटीरियल है, एक ही स्थान से निकलता है। कहीं पर डोलोमाइट कहीं पर लाइम स्टोन और कहीं पर साफ्ट स्टोन निकल जाता है। उन सब को इन्कलूड करना चाहिए। पहले मुझे कहा गया था कि यह गलती से रह गया है, इसीलिये आइन्दा अलग बिल लाकर कुछ व्यवस्था करेंगे। आजाद साहब जब श्रम मंत्री थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह आइटम भी आग-का ध्यान में रखना चाहिये और जल्दी से जल्दी इसके सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए, जिससे उन लोगों कि वेलफेयर एक्टिविटीज का फायदा मिल सके।

मकानों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। लाइम स्टोन में काम करने वालों मजदूरों की बहुत दुर्दशा है। शहरों की गन्दी गस्तियों की तरह वहाँ पर हजारों गज-दूर रहते हैं। ठेकेदारों की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिये चाहे मालिक इस प्रकार की व्यवस्था करें या किसी फण्ड से व्यवस्था की जाए। कम से कम वे शेड बनाकर तो रह सकें, इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। नहीं तो बर-सात और सदी में कितनी तकलीफ होती है, इसको आप समझ सकते हैं। अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। माइका माइन्स में आपने 5-6 सौ रूपया प्रोवाइड किया है। इतने में क्या रहने की व्यवस्था हो सकती है? इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये ताकि हजारों की तादाद में जो ये मजदूर हैं, इनको रहने की सुविधा मिल सके।

इसी प्रकार वेलफेयर एक्टिविटीज में रीक्रेशन, खेलकूद, एडल्ट एजुकेशन और अन्य प्रकार की जो कार्यवाहियां चलती हैं वे सिर्फ अफसरों के बच्चों के

लिए नहीं होना चाहिए, मजदूरों के बच्चों के लिए होनी चाहिए। कई जगह मैंने देखा है कि खेलकूद की जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनसे सिर्फ अधिकारियों के बच्चे खेलते हैं। अफसरों की औरतों के काम में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

अभी एक भाई ने कोआप्शन की बात कही। एडवाइजरी कमेटी में प्रत्येक यूनि-यन, चाहे इंटक हो, एटक हो या कोई भी यूनिन हो, उनके प्रतिनिधि मेंबर-शिप के आधार पर उसमें रहते हैं। कहा गया कि चुनाव के जरिए से आने चाहिए, चुनाव के जरिए उनकी बात करने के लिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए जो व्यवस्था की गई है मेंबरशिप के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की, यह बिल्कुल ठीक है।

मुझे आशा है कि मजदूरों की सुविधाओं के लिए मैंने जो निवेदन किया है, उनको उपलब्ध करवाने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (खुर्जा): सभापति महो-दय, यह जो बिल लाया गया है, देखने में बहुत अच्छा है और जहाँ तक गवर्नमेन्ट की भावना का गवाल है वह भी ठीक है। मैं मंत्री जी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कुछ कहने से पहले, दस साल का समय बीत गया। 1972 में यह एक्ट पास हुआ और उसमें चुनाव-पत्थर और डोलोमाइट की खान में काम करने वाले मजदूर थे जो इसके अन्तर्गत नहीं आते थे। लेकिन, 1972 से दस साल तक क्यों सोचते रहे और जो अब लाने की कोशिश की गई। मैं इसका एक ही कारण समझता हूँ कि गवर्नमेन्ट ने उसे तो इक्ठ्ठा कर लिया एक्साइज ड्यूटी लगाकर और जब वे लोग कोर्ट में पहुँच गए तो रेगुलाराइज करने के लिए आगे यह संशोधन लाए। इसमें मजदूरों के ज्यादा वेलफेयर की बात होगी, उससे मैं इत्त-फाक नहीं करता या मजदूरों के हित की बात होती तो गवर्नमेन्ट इस पहले ही ले आती। जब तक लाइम-स्टोन और डोलो-माइट की खान के मालिक कोर्ट में नहीं

गए तब तक बिल में संशोधन नहीं हुआ और आपने इसकी डीफिनिशन को बढ़ाकर यह दिखाया है कि इसमें ज्यादा मजदूरों का हित होगा, ऐसा इससे महसूस होता है।

मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, जो सैंस इकट्ठा हुआ था 20 पैंसा प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से, पर इअर इक्ठठा होता है, और संशोधन न होता तो हमको सब लाँटाना पड़ेगा।

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने सैंस लगा दिया तो उस सैंस का कैसे यूटिलाइजेशन किया मजदूरों में जैसा व्यास जी कहते हैं। मुझे तो मजदूरों की खान का पता नहीं है और न मजदूरों की यूनियन से मैं सम्बद्ध रहा। देहरादून में मजदूरों की हालत देखने लायक है। इतनी बुरी हालत है, पता नहीं ठेकेदार लोग कैसे काम कराते हैं। वहाँ ऐसी लेंदर थोड़ी है, जो आपके रजिस्टर पर चढ़ी हो। जब चाहे रख लिया और जब चाहे निकाल दिया। जो आपकी फीगर्स हैं, वह उन लोगों की होंगी जो रेगुलर तरीके से काम करते हैं। बहुत सी खानें ऐसी हैं जहाँ रेगुलर तरीके से नहीं होता। यह व्यवस्था आपकी इन खानों के मजदूरों की है। जो लोहे की और कोयले की खानें हैं, उनमें मजदूरों की कन्डीशन में और खनिजों के मजदूरों की कन्डीशन में बहुत बड़ा फर्क है। उन मजदूरों को पूरी सुविधा नहीं मिलती है। जो कोयले और लोहे की खानों में काम करते हैं उनकी कुछ सुविधा नहीं मिलती है।

मैंने मिर्जापुर में देखा है, वहाँ फ़ैक्टरी में मजदूरों को जो पैसा दिया जाता है उनकी बदतर कन्डीशन है। मजदूरों के लिए खानें, पहनने और कोई सुविधा नाम की चीज नहीं, दवा-दारू छोड़िए, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है।

मंत्री जी इस बात की जांच करा लें कि जितना पैसा सैंस से इकट्ठा हुआ, उसका सदुपयोग हुआ या नहीं या उसका दुरुपयोग हुआ। सैंस क्यों लगाया जब मजदूरों को उसका लाभ नहीं है। मैं समझता हूँ, उसको जरूर खर्च कर लिया होगा, उसका मिस-यूटिलाइजेशन हो गया होगा। खूले-आम

नहीं होता है, डाइरेक्ट नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत जरूर है। मजदूरों के नाम पर पूरा का पूरा तो नहीं दिया जाता।

जहाँ तक इस बिल की भावना का सम्बन्ध है जैसे मैंने पहले कहा वह बहुत अच्छी है। लेकिन आप एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हैं। पहले भी था। आगे कहा है कि इस में मँबर कोअप्ट होगा। वह कहां से होगा, कौन होगा? आप कहते हैं एक्सपर्ट भी हो सकता है, मजदूरों में से भी हो सकता है, राज नोताओं में से भी हो सकता है। लेकिन इस में कहीं कोई प्राविजन इस बात का नहीं है कि किस को किया जाएगा। कोअप्ट करना है तो मजदूरों का करिये। जब भी निगम बनते हैं और उनके लिए एडवाइजरी बोर्ड आप बनाते हैं तो देखा यह गया है कि आई ए एस या पी सी एस को उठा करके वहाँ आप बिठा देते हैं, जो कहीं फिट नहीं हो रहा होता है उसको वहाँ फिट कर देते हैं, रिजैक्टड तरीके के जो अफसर होते हैं उनको यहाँ चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, कि जाओ और मौज करो। यह एक परिपाटी सी हो गई है कि जब भी निगम बनते हैं, संस्थायें बनती हैं तो उनमें ज्यादा से ज्यादा अफसरों का अप्पेशन हो जाता है, उनका नामिनेशन हो जाता है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि साफ किया जाए कि किस का रिजिजेंटेंटिव होगा, फिर चाहे किसी का भी आप करें, अफसरों को करना चाहते हैं तो उनको करें, कोई दिक्कत नहीं है, आई ए एस का करना चाहते हैं तो उसका करें। इसको साफ कर दिया जाना चाहिये। एडवाइजरी बोर्डों को थोड़ा सा बचा कर भी रखना चाहिए, उनको थोड़ी सी ताकत भी देने चाहिये। ताकत नहीं देंगे तो वे हिम्मत से काम नहीं कर सकेंगे। हमने पार्लियामेंटरी कमेटेज में देखा है, कंसल्टेंटिव कमेटेज में देखा है और उगकी कुछ अहमियत नहीं है। मैं पार्लियामेंट में पहली बार आया हूँ। अस-म्वली में मैं रहा हूँ। वह छोटी होती है। तब भी मैंने इन एडवाइजरी कमेटेज को देखा है, इनकी अहमियत को देखा है। मुझे तो कुछ अहमियत इनकी दिखाई नहीं दी। पार्लियामेंट की भी एडवाइजरी कमेटेज

[श्री त्रिलोक चन्द्र]

को देखा है, कंसलटेंटिव कमेट्रीज को देखा है, वे भी कोई ज्यादा कारगर नहीं है। वहां बात करने का हक हासिल जरूर हो जाता है लेकिन उसका कुछ नोटिस नहीं लिया जाता है। एडवाइजरी बोर्ड बनाने का लाभ क्या है? मैंने तो देखा है कि जो इम्पाटेंट कमेट्रीज है उनका भी कोई लाभ नहीं है। वहां जरा से रहस्य खुल जाते हैं, जरा सी परेशानी हो जाती है और कुछ नहीं। एडवाइजरी बोर्ड बनाना है तो ताकतवर बनाइए ताकि वह कुछ काम कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आए वं टी ए और डी ए सीधा करे और चले जाएं। जैसे कंसलटेंटिव कमेट्रीज का होता है कि आए और चले गए, स्टाफ परेशान हुआ कि मीटिंग हो रही है, बोले और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्शन और रिएक्शन का कुछ यहां पता नहीं लग सकता है। मूलक का पैसा खर्च होगा इस पर तो दिखाई भी देना चाहिए कि मूलक का इससे भला होगा। वहां जो बात हो उसका रिएक्शन और एक्शन जो हो उसका भी पता लगना चाहिए।

कानून से कुछ नहीं होगा। मजदूरों की हालत को मंत्री जी भी जागत है और मैं भी जानता हूँ। हम दोनों गजदूर परिवार से आते हैं। बड़े परिवार के हम नहीं हैं। उनको भी मालूम है कि मजदूरों की हालत क्या है। लाइम स्टोन, डोलोमाइट की खानें बहुत छोटी खानें होती हैं। आपने सेंस की बात की है। अब आप देखें कि डोलोमाइट किस काम में आएगा। शूगर बनाने में, पेपर बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में और कौमिकल बनाने में आएगा। आपने जो सेंस लगाया है क्या आप यह समझते हैं कि डोलोमाइट खानों के मालिकों पर इसका असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यह प्रभावित करेगा उन चीजों के दामों को जिन पर यह सेंस लगेगा यानी कौमिकल, दवाओं फर्टिलाइजर, पेंसर, शूगर आदि के दामों को। इन चीजों के उत्पादन में अब तक भी डोलोमाइट यूज होता था। जितना सेंस आप लगा रहे है इससे दूगुना इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले लोग मुनाफा कमा लेंगे। यह जो एक्साइज ड्यूटी लगेगी इस से इन चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। उन की कीमतें वैसे ही बढ़ रही है। एक्सा-

इज लगाने से और भी ज्यादा बढ़ेगी। इस वास्ते इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिये।

पुनः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि मजदूरों की हालत को वह देखें। उनका जो हक है वह उनको मिलना चाहिये। कानून बदलने से ज्यादा लाभ नहीं होगा।

श्री रतिलाल प्रताप वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, चूना पत्थर डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि विधेयक, 1982 का मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि यह श्रमिकों के हित के लिये किया जा रहा है। फिर भी जितना होना चाहिए उस स्थिति में इसमें संशोधन नहीं किया जा रहा है। सारे देश में चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में काम करने वाले 58,000 श्रमिक हैं जो डायरेक्ट और कंट्रैक्ट लेबर, मिला जुला कर है। और बिहार, मध्य प्रदेश, यू. पी. यह अधिक मात्रा में है। डोलोमाइट चूना पत्थर, लोहा, इस्पात और सीमेंट बनाने में काम आता है। इसका फर्टिलाइजर, कागज और चीनी में भी प्रयोग होता है। मंत्री जी ने इसके स्कोप को भी बढ़ा दिया है, परिभाषा में जो पहले अस्पष्ट थी उसको अब स्पष्ट कर दिया है। कोई भी चीज जो इसके हवारा निर्माण होगी उस पर भी सेंस लगाया जा सकता है। इन सब कारणों से सेंस की मात्रा बढ़ाने का प्रयास किया है।

जितनी श्रमिकों की संख्या है उनकी हालत बहुत जगह दयनीय है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है इन खानों में काम करने वाले गजदूरों की हालत दयनीय है। आप खान पर जा कर देखिये बेचारे नंगे बदन पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे। उनके शरीर पर चाँट आती है, लेकिन उनके वेलफेयर का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। मैं गलामू जिले में भदनाथपुर प्रोजेक्ट देखने गया था, क्योंकि मेरा बी. एम. एस. से सम्बन्ध है, वहां मैंने देखा उनके कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं है। न जाने सेंस कहां खर्च होता है? 15, 16 सालों से यह चल रहा है, न उनके लिए अस्पताल है, न बच्चों के लिए कोई स्कूल, न आवास की व्यवस्था और न परिवार के अन्य सदस्यों

को कोई और ट्रेनिंग दे कर जिससे मजदूर के जीवन से बच कर आदमी बग रको ऐसी कोई टेक्नीकल शिक्षा की व्यवस्था है। सुदूर पर्वतों के बीच में उनकी भूगर्भी भोपड़ी भी नहीं है, बंचारे घास फूस की कूटिया बना कर रहते हैं सैंकड़ों, हजारों की तादाद में, और उसमें से बहुत कम लोगों का एनरालमेंट किया है, शेष को कांट्रेक्ट पर छोड़ दिया गया है जिससे कांट्रेक्टर लोग उनका शोषण कर रहे हैं। पलामू के अन्य कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को माइन्स प्लान्ट्स मिलता है, स्टील और सीमेन्ट प्लान्ट्स की जो कौण्ट्रिब्युटरी माइन्स है, जैसे गिरिबुरू में माइन्स भत्ता मिलता है, भिलाई के स्टील प्लान्ट की बुन्दनी, हीरा, राभेरा, दुर्गापुर स्टील प्लान्ट की गुलाबी, और बाँकारी स्टील प्लान्ट की डोलोमाइट और चूना पत्थर खानों पर काम करने वालों को भत्ता मिलता है, लेकिन भवनाथपुर में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ के लिए न अस्पताल की व्यवस्था है, न मजदूरों के रहने और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था है। सारे लोग मलेरिया से ग्रस्त हैं। आप 15 बरस होने के बाद भी वहाँ पर डाक्टर नहीं है। मैंने वहाँ के व्यवस्थापक को बहुत जोर दिया है तो उन्होंने डाक्टर के लिए लिखा है। उन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांट्रेक्ट लेबर के रूप में उससे सारा काम लिया जा रहा है। उनका नाम लिस्ट में भी नहीं है। मंत्री जी जवाब में यह बताने की कृपा करें कि उन मजदूरों को कांट्रेक्ट लेबर से कब मुक्ति दिला रहे हैं और उनके लिए भी माइन्स भत्ता दिलवाने की व्यवस्था करें।

सलाहकार समिति जो आग बना रहे हैं, उसमें श्रमिकों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। गिल में स्पष्ट नहीं है कि सलाहकार समिति के कौन से मम्बर होंगे। यह जरूरी है कि मजदूरों के नेताओं में से ही उसमें मजदूर प्रतिनिधि हों। खाली बड़े लोग या बड़े अधिकारी ही उस समिति में होंगे तो वहाँ मजदूर की पहुँच नहीं हो पाती है। इसलिए श्रम-

कों का प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से इस सलाहकार समिति में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो यह सैस का दुरुपयोग होगा।

मैं एक महीना पहले भवनाथपुर देखकर आया हूँ, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ ऐसी दुर्दशा है कि मजदूर को 10, 10 मील से पैदल या साइकिल पर चलकर आना पड़ता है। उराको कोई साइकिल एलाउन्स भी नहीं मिलता है। बस की भी व्यवस्था नहीं है जिससे वह आ सके। देहात में ऐसे लोग हैं जो चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान में काम करते हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

भवनाथपुर प्रजेक्ट में जितने स्टील प्लान्ट्स और उनकी कौण्ट्रिब्युटरी माइन्स हैं, उनमें मजदूरों के लिए जो व्यवस्था है, वह डोलोमाइट खान में मजदूरों के लिए व्यवस्था करें। उनके साथ साँतेला व्यवहार समाप्त करना अत्यन्त आवश्यक है।

11.58 hrs...

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

जब हम सलाहकार समिति बना रहे हैं, जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधि और अधिकारी वर्ग का होना आवश्यक है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके, जब इतना इसका स्कोप बढ़ा रहे हैं, तो इरामें काफी रकम आ सकती है, लेकिन इस काम का सदुपयोग कैसे करेंगे, इसकी गारन्टी कैसे देंगे, इसका कहीं प्रावधान नहीं है। इसका भी जिक्र होना चाहिए।

मजदूरों में थोड़ा-बूड़ा या गिस्कुट वांटकर बाकी का सब अधिकारी वर्ग हजम कर जाते हैं। इसमें मजदूर प्रतिनिधियों को भी साथ रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है।

मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इस दिशा में विचार करें और मजदूरों को राहत देने के लिए जो राशि हो, उसका सदुपयोग करें और जितना पहले एक रुपए माँग की जा रही थी, सैस उससे ज्यादा

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

भी लगा सकते हैं। 58 हजार मजदूरों के परिवार मिलाकर 2 लाख लोग हो जाते हैं।

14.00 hrs

ताकि 2 लाख लोग अपने जीवन को अच्छी तरह बिता सकें और उन मजदूरों की जो दयनीय अवस्था है, उसमें सुधार आ सके। इस दिशा में आपको कारगर कदम उठाने चाहिए। साथ ही साथ, पलामू के भवनाथपुर चूना पत्थर और डोलोमाइट माइन्स में काम करने वाले मजदूरों का भी वैसे बतन और दूसरी सुविधाएं जैसा बतन और सुविधाएं दूसरे स्थानों पर काम करने वाले मजदूरों को मिलती हैं। क्योंकि वह इलाका डेवलपमेंट नहीं है, काफी समय से नैग्लैक्टेड रहा है और बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि आप उनके लिए ऐसी सुविधाएं नहीं देते, बतन नहीं देते तो यह उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार होगा। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री जी इस पर विचार कर उचित पग उठाएंगे।

श्री हृदिध चन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में जो चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। श्रमिकों के कल्याण के लिए हम जितने भी कार्यक्रम हाथ में लेते हैं, प्रजातंत्र को हम उतना ही मजबूत करते हैं, जितना हमारे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है, हमारे देश में उतनी ही सामाजिक क्रांति आती है। इस कानून के अंतर्गत इस विधेयक के द्वारा हम जितने संशोधन करने जा रहे हैं, वे सभी परिवर्तन स्वागत योग्य हैं।

चूना-पत्थर के बारे में पहले कोई निश्चित डेफिनीशन नहीं थी। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। जिन फैक्टरियों में पहले चूने के पत्थर का उपयोग सीमेंट, लोहा और इस्पात आदि के लिए किया जाता था, या डोलोमाइट का प्रयोग होता था, अब उसका क्षेत्र व्यापक

बना दिया गया है। उसके क्षेत्र को बढ़ा कर अब उसमें लोहा, मिश्र धातु, रसायन, चीनी, कागज, उर्वरक, लौह अयस्क तथा पैलैयेसेशन आदि कर दिया गया है। इन सब चीजों के बढ़ने से हमारी आय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। जब हमारी आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम श्रमिकों के कल्याण के बारे में योजनाएं बनाने की स्थिति में हो जाएंगे।

अभी यहां पर एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें श्रमिकों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि उन्होंने ओरीजीनल एक्ट को पढ़ा नहीं है। इसीलिए उनको पूरी जानकारी नहीं है। ओरीजीनल एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि --

'The Central Advisory Committee shall consist of such number of Members as may be appointed to it by the Central Government and the Members shall be chosen in such manner as may be prescribed;

Provided that the Central Advisory Committee shall include an equal number of Members representing the Government the owners of Limestone and Dolomite mines, and the persons employed in the Limestone and Dolomite mines.

14.00 hrs.

The Chairman of the Central Advisory Committee shall be appointed by the Central Government.'

इससे स्पष्ट है कि इस में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा और उन्हें भी गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों के साथ तथा एम्पलायर्स के प्रतिनिधियों के साथ भाग लेने का मौका मिलेगा। उनको भी कोऑप्शन का अधिकार दिया गया है। इससे उनकी संख्या भी आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। कोऑप्शन होने के कारण इस एडवाइजरी कमेटी में योग्य व्यक्तियों को भी लिया जा सकेगा, जिनको इस लाइन का अनुभव होगा, जिनको अच्छी जानकारी होगी। ऐसा प्रावधान भी इस विधेयक में रखा गया है। ऐसे प्रावधान के कारण इसकी महत्ता बढ़ जाती है।

अब प्रश्न उठता है कि इस विधेयक को पास होने के बाद जो लाइम स्टोन और डोलोमाइट माइन्स लेबर वेलफेयर फण्ड बनाया जाएगा, उसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो। उसको सही तरीके से उपयोग में लाया जाए। उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। समय-समय पर उसका निरीक्षण हो और किसी समय यदि कोई त्रुटि नजर आती है तो उसको दूर करने की कार्यवाही की जाए। वैसे मैंने सारे संकशन्स को पढ़ा है और इसमें कोई प्रतिकूल प्रावधान नहीं है। कोई भी कोष, निधि या फण्ड जब बगता है तो उसका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि उसका उपयोग श्रमिकों के कल्याण कार्यों के लिए किया जाए। श्रमिकों के स्वास्थ्य, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये उपयोग किया जाए। जितने हमारे कारखानों या माइन्स में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको इससे फायदा पहुंचाया जा सके। आज हम देखते हैं कि हमारे श्रमिकों को उतना वेतन नहीं मिल पाता जिससे वे आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। उनको कई आवश्यक सुविधाएं भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पातीं। इसीलिए यह विधेयक यहां पर लाया गया है ताकि उनको आवश्यक सुविधाएं देने के साथ-साथ उनके उत्साह को बढ़ाया जाए, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएं, उनको क्रियान्वित करके वे उत्साह में काम करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, जो विधेयक यहां उपस्थित किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्रम तथा पुनर्वासि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर): उपाध्यक्ष महोदय, लाइम-स्टोन एण्ड डोलोमाइट माइन्स लेबर वेलफेयर फण्ड एक्ट के संशोधन विधेयक पर बहुत से माननीय सदस्यों ने जो अपने बहुमूल्य सुझाव दिए मैं उनका स्वागत करता हूँ जैसा कि इस संशोधन विधेयक से स्पष्ट है, इसमें जितने भी संशोधन हैं, वे सब मजदूरों के हित के लिए लाए गए हैं। इस संशोधन विधेयक के द्वारा एक्ट

में कोई बहुत बड़ा प्रावधान नहीं किया जा रहा है। इस के द्वारा सिर्फ श्रमिकों के हित में जो कुछ किया जा सकता है, उसी को करने का प्रयास किया गया है। शासन का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि श्रमिकों का हित किस प्रकार अधिक से अधिक किया जा सकता है। हम हमेशा इस पर विचार करते रहते हैं और इस सदन के समक्ष समर्थन प्राप्त करने के लिए समय-समय पर आते रहते हैं। यह सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हमारे एक मागनीय सदस्य ने कहा कि हम 10 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात् श्रमिकों के हित में यह विधेयक यहां लाए हैं, क्योंकि 1972 में यह एक्ट बना था। इसके लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्यों कि एक तो इसकी डीफिनीशन का स्कोप ऐसा था जिसको खान मालिकों ने चुनौती दी थी और उसके कारण हमारा काफी बड़ा बकाया (एरियर) रुक गया था। इस विधेयक के जरिए हमने उस सीमा को बढ़ाया है। अब तक यह एक्ट चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ही था और दूसरी सी-सैंड, कालकरस सैंड, लाइम शैल्स आदि हनी जितनी भी किस्में थीं, उन पर किसी प्रकार का सैस वसूल नहीं होता था। इस-लिए उन पर सैस लागू करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। ताकि इसके जरिए अधिक से अधिक सैस हमें प्राप्त हो सके और हम मजदूरों के हित में काम कर सकें। इसी उद्देश्य के लिए यह संशोधन लाया गया है।

अभी हमारे माननीय अजित बाग जी ने यह शंका प्रकट की कि इस माइन्स लेबर वेलफेयर फण्ड के द्वारा मजदूरों को वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी, जो कि होनी चाहिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस फण्ड के जरिए, उन 5 हजार मजदूरों को भी फायदा होगा, जो कि अभी तक इन सुविधाओं से वंचित थे। इसका स्कोप बढ़ जाने से बाकी बचे मजदूरों का भी हित होने वाला है। अब उनको भी वे सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी, जो कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान में काम करने वाले मजदूरों

[श्री धर्मवीर]

को प्राप्त थी। जैसा मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया लाइम-स्टोन खानों में हमारे यहां लगभग 50 हजार मजदूर काम करते हैं, एकचुअल फोगर्स 49,752 है और डोलोमाइट खानों में काम करने वालों की संख्या 7527 है। इस विधेयक के पास हो जाने से इनके अतिरिक्त 4978 श्रमिकों को और फायदा होगा जो कि लाइम शैल तथा अन्य कालकैरियस सैंड इत्यादि को निकालने का काम करते हैं, जहां तक ग्राइडक्शन का सम्बन्ध है, 1980 में लाइमस्टोन का ग्राइडक्शन 27,956,000 टन, डोलोमाइट का 1,308,000 टन और कालकैरियस सैंड, लाइम-कंकर, कंकर, लाइमशैल का 1,948,000 टन था।

एकट के अन्तर्गत 1 रुपया प्रति मीट्रिक टन के सेंस का प्रावधान है। लेकिन सेंस का वर्तमान रेट 20 पैसे प्रति मीट्रिक टन है। इस सेंस को लगाने से जो फंड इकट्ठा होता है, उसके द्वारा मजदूरों के वेल-फेयर के काम किये जाते हैं, उनके दवा दारू की व्यवस्था की जाती है और डिसपेंसरियां खोली जाती हैं। अभी तक पांच रीजन्स हैं : इलाहाबाद, बंगलोर, भीलवाड़ा, भुवनेश्वर और जबलपुर। जहां जहां ये खाने हैं, वहां हमने मीडिकल फौसिलिटीज दे रखी हैं।

एक स्टैटिक-कम-मोबाइल डिसपेंसरी देहरादून में है। एक मोबाइल मीडिकल यूनिट मिर्जापुर में है। एक मोबाइल मीडिकल यूनिट रोहतास, बिहार में काम करता है। एक मोबाइल मीडिकल यूनिट भवनाथपुर, डिस्ट्रिक्ट पालामू में है। श्री वर्मा ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। वहां पर भी श्रमिकों के दवा-दारू का इन्तजाम है।

श्री शिब प्रसाद साहू (राजी): पालामू में नाम के लिए डिसपेंसरी है। वह नहीं के बराबर है।

श्री धर्मवीर : मेरा तात्पर्य यह है कि वहां व्यवस्था कम हो सकती है, लेकिन वह क्षेत्र उपेक्षित नहीं है।

जहां तक भीलवाड़ा का सम्बन्ध है, एक एलोपैथिक डिसपेंसरी डूंगरपुर क्वैरी, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में है। एक स्टैटिक-कम-मोबाइल मीडिकल डिसपेंसरी पोरबंदर के नजदीक रनाववा, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में है। एक मोबाइल डिसपेंसरी गडू, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में है। एक मोबाइल मीडिकल डिसपेंसरी रातलखेरी, डिस्ट्रिक्ट कोटा, राजस्थान में है। इसी तरह एक मोबाइल मीडिकल डिसपेंसरी चरखी-दादरी में और एक मोबाइल डिसपेंसरी चंदरैया में काम कर रही है।

डिस्ट्रिक्ट बड़ोदा, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, डिस्ट्रिक्ट नागपुर, डिस्ट्रिक्ट पाली और लखेरी में एक आयुर्वेदिक डिसपेंसरी है।

भुवनेश्वर में भी मैटर्नटी-कम-चाइल्ड वेल-फेयर सेंटर और मोबाइल मीडिकल डिसपेंसरी है। जबलपुर में भी बहुत सी डिसपेंसरीज हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि टी बी पेशेंट्स के लिए सुविधा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि धूल से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनको चर्म रोग हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि टी बी पेशेंट्स के इलाज की व्यवस्था भी की गई है। हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े।

सीरियस और फेटल एक्सिडेंट्स होने पर श्रमिकों और उनके आश्रितों को इस फंड के द्वारा सहायता दी जाती है।

जहां तक एजुकेशनल फौसिलिटीज का सम्बन्ध है, स्कालरशिप का रेट भले ही कम समझा जा सकता है, लेकिन हम 10 रुपए से लेकर 75 रुपए माहवार तक छात्रवृत्ति के रूप में देते हैं, ताकि गरीब श्रमिकों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

श्रमिकों के मनोरंजन के लिये मोबाइल सिनेमा यूनिट्स की व्यवस्था है। जबलपुर में 1, भुवनेश्वर में 1, इलाहाबाद में 4, बंगलोर में 3 मोबाइल सिनेमा यूनिट काम

कर रहे हैं। पुरी, उड़ीसा में एक हालिडो होम बनाया गया है, जहाँ श्रमिक लोग ठहर सकते हैं।

पानी की सुविधा उगलब्ध कराने के लिए 13 योजनाएं काम कर रही हैं, जिनमें से 3 जबलपुर रिजन में, 1 इलाहाबाद में, 3 बंगलौर में और 6 भुवनेश्वर में हैं। आठ और कुओं के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। और इसके लिए योजना तैयार हो गई है उसको हम चलाएंगे। रहने की व्यवस्था के बारे में ब्यास जी ने कहा था। चूंकि वे माइका माइन्स वेलफेयर कमिटी के माननीय सदस्य हैं, वहाँ उन्होंने इस बात को उठाया था। जैसा कि आप जानते हैं हम उनको इस सम्बन्ध में 75 प्रतिशत सहायता देते हैं। जो भी सहायता हम देते हैं। इससे उनके लिये मकान बनाये जाते हैं। 1905 मकान तो तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा 'विल्ड गोर ओन हाउस' स्कीम के अन्तर्गत 1500 रुपये की सहायता दी जाती है-600 रुपया सब्सीडी के तौर पर और 900 रुपया बिना ब्याज के दिया जाता है ताकि वे अपनी जमीन पर मकान बनाकर रहने की सुविधा प्राप्त कर सकें।

मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जो संशोधन यहाँ पर हमने पेश किया है इसे वे स्वीकृत कर हमारा उत्साहवर्धन करें। मैं मागनीय सदस्यों का विश्वास दिलाता हूँ कि इग वेलफेयर फण्ड का सही सही कलेक्शन किया जाता है और उगका हिसाब रखा जाता है।

जहाँ तक एडवाइजरी कमिटी का सम्बन्ध है, उसमें तरावर-दराबर प्रतिनिधित्व रहता है, मजदूरों की तरफ से, खान की तरफ से और साथ ही उसमें कुछ ऐसे योग्य लोगों की आवश्यकता पड़ जाती है जिनकी राय से श्रमिकों के कल्याण की योजनायें शली शांति चलाई जा सकें। इसलिये इसमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोगों को कोआप्ट करने का प्रावधान रखा गया है। (व्यवधान) साफ्ट स्टोन के बारे में ब्यास जी ने जो प्रश्न उठाया था वह विचाराधीन है। उसके सम्बन्ध का हम स्वागत करते हैं। शासन ने एक स्तर

पर तो उसको स्वीकार कर लिया है और उस सम्बन्ध में वैधानिक प्रक्रियायें चल रही हैं। मुझे विश्वास है कि उसको भी किसी न किसी कल्याण निधि के अन्तर्गत लाया जा सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया और मुझे विश्वास है कि आगे भी इन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में वे हमारा उत्साहवर्धन करेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to amend the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act 1972, be taken into consideration."

The motion was adopted

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is :

"That Clauses 2, 3 and 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clauses 2, 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 5—Insertion of new Section 7A.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sudhir Giri. You may speak on your amendment.

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : Sir, the hon. Minister has admitted that the knowledgeable persons shall be co-opted in the Board.

To plug this loophole that no such person should be co-opted who is not well-conversant with the affairs relating the Welfare Fund, I have brought this amendment. Sir, on many an occasion, it has been found that in the name of knowledgeable persons, some patronaged people had been co-opted in some Welfare Fund Boards. That should not be done. But, actually, the well-

[Shri Sudhir Giri]

conversant people in the development of welfare activities of these workers should also be co-opted in the Board.

For this purpose, I have brought forward this amendment. I request the hon. Minister to accept my amendment. I beg to move:

Page 2,

after line 9, insert—

“Provided that the person or persons so co-opted shall be well conversant with the affairs relating to the welfare fund.”

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the Minister.

श्री धर्मवीर : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एडवाजरी कमेटी में जो सदस्य कोऑप्ट किये जाते हैं वह निश्चित रूप से नियमों के अनुसार किये जाते हैं ताकि उसकी एक्सपर्ट राय और सहयोग मजदूरों के लाभ के लिए प्राप्त हो सके। माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उससे यहाँ पर कोई विशेष समाधान नहीं निकलता है। दूसरी कमेटीज को भी इस प्रकार का अधिकार मिला हुआ है और उसमें एक्सपर्ट ही कोऑप्ट किये जाते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the amendment No. 1 moved by Shri Sudhir Giri to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :

“That Clause 5 stand part of the Bill.”

The motion was adopted

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

Clause 8—Validation

SHRI SUDHIR GIRI: I beg to move:

Page 3,—

after line 8, insert—

“Provided that such recoveries shall be effected with immediate effect and credited to the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund.”

The workers working in the Mines work at the risk of their own life. They do not get proper remuneration. In spite of all these, the mine-owners are exploiting the workers and they are amassing wealth. The Government has brought forward this Bill for the sake of doing some welfare measures for the workers. The recoveries which are due from the mine-owners should be recovered immediately so that the money could be credited to the Welfare Fund of the workers. I have brought forward this amendment so that the workers are benefited. I would request the hon. Minister to accede to my request.

श्री धर्मवीर: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की है, इस फण्ड का पैसा तुरन्त वसूल नहीं होता है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे ही यह नियम पास हो जाएगा, वैसे ही पैसा वसूल होने लगेगा। एक-एक पैसा श्रमिकों के कल्याण के लिए है। जहाँ कि श्रमिकों के शोषण और उचको उचित वेतन न मिलने का प्रश्न है। इस चीज को दूसरे तरीके से देखा जाएगा, लेकिन इस संशोधन से इसका अभिप्राय नहीं है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे इस संशोधन को वापिस ले लें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No. 2 to Clause 8 moved by Shri Sudhir Kumar Giri to the vote of the House.

Amendment No. 2 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :

“That Clause 8 stand part of the Bill.”

The motion was adopted

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARAMAVIR): I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill be passed.”

Shri Ram Vilas Paswan.

श्री-राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर विशेष नहीं बोलना था। अभी-अभी मंत्री महोदय ने अपने जबाव में दो बातें कही हैं। एक तो उन्होंने यह कहा है कि कुल मिलाकर 50 हजार से ज्यादा मजदूर हैं, जिनके लिए यह कानून बना रहे हैं। आपने यह भी कहा है कि अभी तक जो मजदूरों के लिये मकान बनाये गये हैं, वे कुल मिलाकर 1905 हैं। आपने यह भी कहा है कि मजदूरों को मकान के लिए जो हम सहायता दे रहे हैं, वह 1500 रु. है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आज कल के युग में क्या 1500 रु. में मकान बन सकता है। अच्छा है, आप मकान का नाम न लें। वह मकान भी किराके द्वारा बनाया जाता है। 1500 रु. देते हैं कन्ट्रैक्टर को उसमें से सात सौ रुपया उसकी जेब में चला जाएगा और बाकी का वह वांस ला कर रखेगा। दूसरी बात आपने पलामू जिले के सम्बन्ध में कही है कि वहाँ हेल्थ की सुविधा है, हास्पिटल है। हकीकत यह नहीं है। कागजों में आपके होगा, लेकिन ऐसी बात है नहीं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ तक मजदूरों का मामला है, इसमें आपको स्वयं दिलचस्पी लेनी चाहिये। आप अपने से दिलचस्पी लें। माइंस के मजदूरों के सम्बन्ध में हम को जानकारी है कि उनका शोषण किया जाता है। यह ठीक है कि जून से माइंस का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से उन्हें कुछ राहत मिली है। अब आपको उनके बारे में यह भी देखना चाहिए कि उन्हें साइकिल भत्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मजदूरों को पूरा वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।

आपने कहा कि वहाँ लेबरलाज के मुताबिक काग किया जाता है। जब आप लेबर लाज की बात करते हैं तो क्या आप उनको चुना-पत्थर के मजदूरों के कानून के मुताबिक दे रहे हैं? मुझे को जानकारी है कि इन मजदूरों के बीच में इन लेबर लाज को लागू नहीं किया जा रहा है। इसको भी आप देखें।

उनके स्वास्थ्य का, हाउसिंग का, साइकिल भत्ते का और दूसरी सुविधाओं का मामला है। उनका स्वास्थ्य काफी दयनीय है।

जिस रूप में वहाँ काम करते हैं उसमें उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत ही खतरा है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप इसको भी देखें और उनके लिए अधिक से अधिक पैसे का प्रावधान करें। मजदूरों के लिए अधिक फण्ड की व्यवस्था करने के लिए जब आप हम से सहयोग मांगेंगे तो हम लोग जरूर आपका साथ देंगे। आप यह देखें कि मजदूरों के हितों की सही मायनों में रक्षा हो और उनके लिए निर्धारित धन उनके कार्यों पर ही लगे।

श्री धर्मबीर: मान्यवर, माननीय, सदस्य ने कहा कि श्रमिकों को सुविधाएं कम हैं। मैं उनसे इतना ही निवेदन करूंगा कि वे भी इस देश के रहने वाले हैं, इस देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को वे अच्छी तरह से जानते हैं। हमने भी यह स्वीकार किया है कि यह हमारा केवल प्रयास मात्र है, यह पर्याप्त नहीं है। लेकिन जितनी भी अधिक से अधिक सुविधाएं हम श्रमिक बन्धुओं को दे सकते हैं, उसकी तरफ हमारे कदम हैं। मैं समझता हूँ कि उनको सुविधाएं देने के जो भी हमारे प्रयास हैं उनमें आपका हमें सहयोग मिलना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

16.10 hrs.

MOTION RE: SUSPENSION OF PROVISIO TO RULE 66.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (RAO BIRENDRA SINGH): I beg to move:

“That this House do suspend the proviso to rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motions for taking into consideration and passing of the Sugar Cess (Amendment) Bill, 1982, and the Sugar Development Fund (Amendment) Bill, 1982.”

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :

“That this house do suspend the proviso to rule 66 of the Rules of Procedure